भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *223
उत्तर देने की तारीख 22.12.2022

औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को प्रोत्साहन

*223. डॉ:कलानिधि वीरास्वामी .

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)को, विशेष रूप से औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में स्वस्थ प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;
(खयदि हां (, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का उपयोग करने वाले एमएसएमई की जिलावार कुल संख्या कितनी है-;
(घ) क्या सरकार ने एमएसएमई के तहत विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्यमों पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिन्होंने कोविड-19 के बाद क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के प्रयास में घोषित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठाया है और लाभान्वित हुए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को प्रोत्साहन” के संबंध में दिनांक 22.12.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *223 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को स्वस्थ्य प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही है जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन, कौशल तक पहुंच शामिल हैं। इन स्कीमों में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसई के लिए ऋण गारंटी स्कीम, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति (पीपीपी), प्रापण और विपणन स्कीम (पीएमएस), एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (एमएसएमई-टीसी) शामिल हैं।

(ग): विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का उपयोग करने वाली एमएसएमई की जिले-वार कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ) और (ङ): सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस), आत्मनिर्भर भारत कोष, एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण शामिल है। ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत जारी गारंटियों की जिले-वार कुल संख्या नीचे दी गई है:

तमिलनाडु राज्य के लिए ईसीएलजीएस के अंतर्गत जारी गारंटियों की जिले-वार संख्या

	जारी गारंटियों की संख्या				
क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023 (नवम्बर 2022)	नवम्बर 2022 तक संचयी
1.	अरियालूर	2399	685	9	3093
2.	चेन्नई	48718	8923	974	58615
3.	कोयंबत्तूर	36586	6652	1188	44426
4.	कुड्डालोर	25453	23853	495	49801
5.	धर्मपुरी	9347	4108	344	13799
6.	डिंडीगुल	12613	4729	96	17438
7.	इरोड	19012	5378	942	25332
8.	कांचीपुरम	37792	9238	227	47257
9.	कन्याकुमारी	20353	6566	186	27105
10.	करूर	5914	664	62	6640
11.	कृष्णागिरी	10920	7084	565	18569
12.	मदुरै	24927	11588	196	36711
13.	नागपट्टिनम	15913	7959	51	23923
14.	नामाक्कल	16230	3689	1063	20982
15.	नीलगिरी	4380	2414	41	6835
16.	पेरम्बलूर	2297	1230	26	3553
17.	पुदुक्कोट्टई	12671	5982	50	18703
18.	रामनाथपुरम	7600	292	28	7920
19.	सेलम	53109	5879	750	59738
20.	शिवगंगा	8691	4341	46	13078
21.	तंजावुर	27256	10268	580	38104
22.	थैनी	5343	2993	90	8426
23.	थूटूकुडी	11481	5110	164	16755
24.	तिरुचिरापल्ली	29690	8062	477	38229
25.	तिरुनेलवेली	31838	6961	332	39131
26.	तिरुपुर	13327	4761	145	18233
27.	तिरुवल्लूर	30745	13818	207	44770
28.	तिरुवन्नामलाई	16468	10100	175	26743
29.	तिरुवरुर	13248	10125	105	23478
30.	वेल्लोर	24358	28087	1135	53580
31.	विल्लुपुरम	25520	14573	156	40249
32.	विरुधनगर	14847	6180	605	21632
	कुल योग	**619047**	**242292**	**11510**	**872849**

अनुबंध-II

1. **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस):** आपातकालीन ऋण संबद्ध गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को कोविड-19 संकट से उपजी आपदा को ध्यान में रखते हुए परिचालन देनदारियों को पूरा करने और व्यवसायों को फिर से शुरू करने और पात्र एमएसएमई और अन्य व्यवसाय उद्यमों की सहायता के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में घोषित किया गया था। यह स्कीम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अंतर्गत, पात्र उधारकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% गारंटी प्रदान की जाती है। स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक मान्य है। ईसीएलजीएस का कार्यान्वयन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस), वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जैसा कि डीएफ़एस द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार ईसीएलजीएस के अंतर्गत **3.588 लाख करोड़ रु.** राशि की **कुल 1.192 करोड़** गारंटियों को जारी किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

शुरुआत से, दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार ईसीएलजीएस का राज्य-वार आंकड़ा			
क्र. सं.	**राज्य**	**गारंटियों की संख्या**	**गारंटी राशि (करोड़)**
1.	अंडमान और निकोबार	2,119	149.05
2.	आंध्र प्रदेश	2,93,483	13,009.56
3.	अरूणाचल प्रदेश	2,431	135.03
4.	असम	5,54,326	3,784.24
5.	बिहार	8,31,154	5,157.37
6.	चंडीगढ़	7,296	1,276.9
7.	छत्तीसगढ़	2,02,051	6,126.79
8.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,379	660.73
9.	दिल्ली	1,07,152	23,534.73
10.	गोवा	13,120	1,488.87
11.	गुजरात	3,78,714	34,377.55
12.	हरियाणा	2,08,184	16,613.46
13.	हिमाचल प्रदेश	52,259	2,435.03
14.	जम्मू और कश्मीर	68,990	2,443.16
15.	झारखंड	3,04,484	4,102.96
16.	कर्नाटक	8,94,934	23,853.98
17.	केरल	5,42,371	11,935.8
18.	लद्दाख	1,035	54.18
19.	लक्षद्वीप	375	2.2
20.	मध्य प्रदेश	5,74,262	11,218.24
21.	महाराष्ट्र	10,29,614	59,168.73
22.	मणिपुर	10,612	142.14
23.	मेघालय	11,566	240.51
24.	मिजोरम	3,896	64.52
25.	नागालैंड	7,599	80.06
26.	ओडिशा	9,45,805	6,717.95
27.	पुडुचेरी	23,230	602.76
28.	पंजाब	2,20,638	11,335.4
29.	राजस्थान	5,57,790	17,825.2
30.	सिक्किम	8,395	131.34
31.	**तमिलनाडु**	**9,12,202**	**39,498.58**

32.	तेलंगाना	1,48,006	15,183.97
33.	त्रिपुरा	62,848	295.08
34.	उत्तर प्रदेश	8,27,096	21,878.69
35.	उत्तराखंड	75,172	3,324
36.	पश्चिम बंगाल	20,35,590	20,045.5
	कुल	**1,19,22,178**	**3,58,894.26**

2. आत्मनिर्भर भारत निधि

भारत सरकार ने उन एमएसएमई में इक्विटी निधि पोषण के रूप में 50,000 करोड़ रु. का संचार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के नाम से निधियों के कोष की घोषणा की है जिनमें विकास करने और बड़ी इकाइयां बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस स्कीम के अंतर्गत 50,000 करोड़ रु. की कुल निधि में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रु. और निजी इक्विटी/वेंचर पूंजीगत निधि के माध्यम से 40,000 करोड़ रु. का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है। एसआरआई निधि के और अधिक परिचालन के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने इसकी शुरुआत से एनवीसीएफ़एल को 343.73 करोड़ रु. (वित्तीय वर्ष– 2021-22, 180.34 करोड़ रु. + वित्तीय वर्ष-2022-23, 163.38 करोड़ रु.) स्वीकृत और जारी किए हैं। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, एनवीसीएफ़एल (मदर फंड) के साथ कुल 32 डॉटर फंड को पैनलबद्ध किया गया है और 2335 करोड़ रु. के निवेश द्वारा 125 भावी एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि स्कीम का राज्य-वार ब्यौरा		
क्र. सं.	**राज्य**	**इकाइयों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	00
2	आंध्र प्रदेश	02
3	अरुणाचल प्रदेश	00
4	असम	01
5	बिहार	01
6	चंडीगढ़	01
7	छत्तीसगढ	01
8	दादरा और नगर हवेली	00
9	दमन और दीव	00
10	दिल्ली	11
11	गोवा	00
12	गुजरात	09
13	हरियाणा	07
14	हिमाचल प्रदेश	01
15	जम्मू और कश्मीर	00
16	झारखंड	00
17	कर्नाटक	28
18	केरल	00
19	लद्दाख	00
20	लक्षद्वीप	00
21	मध्य प्रदेश	03
22	महाराष्ट्र	41
23	मणिपुर	00

24	मेघालय	00
25	मिजोरम	00
26	नागालैंड	00
27	ओडिशा	03
28	पॉडीचेरी	00
29	पंजाब	01
30	राजस्थान	00
31	सिक्किम	00
32	तमिलनाडु	07
33	तेलंगाना	03
34	त्रिपुरा	00
35	उत्तर प्रदेश	05
36	उत्तराखंड	00
37	पश्चिम बंगाल	00
	कुल	**125**

3. एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण

उद्यम पंजीकरण पोटल अर्थात www.udyamregistration.gov.in की शुरुआत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अंतर्गत अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए व्यवसाय मालिकों हेतु प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिनांक 01.07.2020 को की गई थी। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, इसकी शुरुआत से दिनांक 01/07/2020 से 19/12/2022 के लिए 1,27,10,493 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (विनिर्माण और सेवा) की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	विनिर्माण				सेवा			
		सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	आंध्र प्रदेश	77421	5870	708	83999	271680	9663	569	281912
2	अरुणाचल प्रदेश	1798	62	10	1870	3485	106	9	3600
3	असम	51272	1629	132	53033	107300	3684	265	111249
4	बिहार	130504	2084	198	132786	362207	8092	360	370659
5	छत्तीसगढ़	30211	2552	425	33188	132108	4480	345	136933
6	गोवा	4458	339	61	4858	19212	590	47	19849
7	गुजरात	354513	30625	3406	388544	578963	17748	1440	598151
8	हरियाणा	109687	10937	1198	121822	304933	10462	705	316100
9	हिमाचल प्रदेश	12553	1121	223	13897	56619	1301	52	57972
10	झारखंड	43381	1405	150	44936	165131	3738	197	169066
11	कर्नाटक	182326	10544	1228	194098	537410	16965	1207	555582
12	केरल	89807	4220	451	94478	207463	8054	501	216018
13	मध्य प्रदेश	128577	6959	764	136300	443619	11033	513	455165
14	महाराष्ट्र	561813	27977	3757	593547	1792886	34703	3311	1830900
15	मणिपुर	18582	109	1	18692	20447	294	15	20756
16	मेघालय	1423	82	10	1515	5118	165	19	5302

क्र.सं.	राज्य का नाम	विनिर्माण				सेवा			
		सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
17	मिजोरम	2390	28	0	2418	6794	102	6	6902
18	नागालैंड	3626	42	3	3671	5388	73	6	5467
19	ओडिशा	57015	2098	210	59323	197888	6048	365	204301
20	पंजाब	126999	8650	1032	136681	320548	8097	469	329114
21	राजस्थान	291094	12591	1139	304824	649266	13096	756	663118
22	सिक्किम	733	21	2	756	3091	70	9	3170
23	तमिलनाडु	**408829**	**19410**	**1955**	**430194**	**890486**	**19408**	**1284**	**911178**
24	तेलंगाना	83022	7083	1058	91163	306079	9937	849	316865
25	त्रिपुरा	5236	129	11	5376	10540	339	20	10899
26	उत्तर प्रदेश	292406	12828	1377	306611	736605	20571	1257	758433
27	उत्तराखंड	25519	1780	226	27525	89758	1932	99	91789
28	पश्चिम बंगाल	111865	7658	921	120444	273148	12585	939	286672
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1624	33	1	1658	5819	163	3	5985
30	चंडीगढ़	3820	362	61	4243	17000	867	82	17949
31	दादर और नगर हवेली	1785	372	81	2238	4935	129	6	5070
32	दमन और दीव	1110	294	59	1463	2016	63	6	2085
33	दिल्ली	104852	11072	1303	117227	213955	13114	1571	228640
34	जम्मू और कश्मीर	49788	874	88	50750	102458	1878	94	104430
35	लद्दाख	1301	21	0	1322	3297	46	2	3345
36	लक्षद्वीप	81	0	0	81	403	0	0	403
37	पुदुचेरी	4234	289	34	4557	14984	371	21	15376
कुल		**3375655**	**192150**	**22283**	**3590088**	**8863039**	**239967**	**17399**	**9120405**
कुल योग		**1,27,10,493**							

****